

फा.सं.ए-22011/1/2012-स्था.

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

दिनांक: 15.06.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संयुक्त सचिवों के बीच कार्य आबंटन

मंत्रालय के संयुक्त सचिवों के कार्य आबंटन निम्नानुसार होगा:

1. संयुक्त सचिव (पीजी)

- वर्ल्ड फूड इंडिया, 2017 के आयोजन संबंधी सभी कार्य
- प्रोत्साहन कार्यकलाप, विज्ञापन, प्रचार स्कीम
- निवेश, निवेशक पूछताछ/सहायता/शिकायतें
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- पशुवधशाला एवं एनएमपीपीबी

2. संयुक्त सचिव (एपी)

- शीतश्रृंखला एवं मूल्यवृद्धि अवसंरचना स्कीम
- बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजिस सृजन स्कीम
- खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम(खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, एचएसीसीपी, एफएसएसएआई संबंधी मामले)
- सर्तकता

इसके अलावा, वह अगले आदेशों तक निम्नलिखित कार्य भी देखेंगी:

- नीति
- योजना समन्वय (आईसी)

3. आर्थिक सलाहकार (ईए)

- मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम (आरएंडडी, संस्थान सुदृढीकरण-निफ्टेम और आईआईएफपीटी, कौशल विकास, अध्ययन एवं सर्वेक्षण) ।
- वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी

- जीएसटी, कराधान संबंधी अन्य मामले
- व्यापारिक मामले, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, बहु-पक्षीय निकाय
- आर्थिक डाटाबेस

इसके अलावा, आर्थिक सलाहकार अगले आदेशों तक निम्नलिखित कार्य भी देखेंगे:

- मेगा फूड पार्क स्कीम
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम

4. संयुक्त सचिव (एके)

- आईए कैडर सहित स्थापना
- जन-शिकायतें
- राजभाषा
- रोकड़ खंड सहित सामान्य प्रशासन
- खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम
- संसदीय कार्य
- आरटीआई समन्वय
- टीयूएस और सीएसएस-एनएमएफपी का शेष कार्य

संयुक्त सचिव (पीजी) वर्ल्ड फूड इंडिया, 2017 के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें सौंपा गया कार्य दक्षतापूर्वक निपटाएंगे ।

संयुक्त सचिव (एपी) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मॉडल खाद्य प्रसंस्करण नीति, राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीतियों के मामलों संबंधी नीतिगत नोट को अंतिम रूप देने पर विशेष रूप से ध्यान देंगी ।

(अविनाश कु. श्रीवास्तव)

सचिव

खाप्रउमं के सभी अधिकारी

सभी अनुभाग

प्रतिलिपि:

मंत्री (खाप्रउ) के निजी सचिव

राज्य मंत्री (खाप्रउ) के निजी सचिव